न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 181/2023 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2017/00201)

राजेन्द्र दत्तक पुत्र हजारी जाति मीना निवासी आदलवाडा कलां तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. लड्डूलाल पुत्र अम्बालाल मीना निवासी चोकडी तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।
2. तहसीलदार, तहसील चौथ का बरवाडा।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.07.2015 मुकदमा नंबर 233/15, 136 एल.आर.एक्ट उनवानी लड्डू बनाम सरकार न्यायालय उप जिला कलक्टर चौथ का बरवाड़ा।

उपस्थितिः–

श्री श्याम मोहन शर्मा वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः– 29.11.2023

उक्त प्रथम अपील एल.आर.एक्ट की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा की ओर से एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत पारित आदेश दिनांक 10.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि रैस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा के समक्ष एल.आर. एक्ट की धारा 136 के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया था कि ग्राम चोकडी की जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 खाता संख्या 101 में प्रार्थी का नाम गलत नाम हजारी दर्ज हो रहा है। जिसे शुद्ध कर हजारी के स्थान पर लड्डू लाल पुत्र अम्बलाल मीना निवासी चोकडी किया जावे। प्रार्थी का सही नाम ग्राम चोकडी के वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 86 व 87 में लड्डूलाल पुत्र अम्बालाल मीना लिखा हुआ है। इसके अनुसार ही प्रार्थी का नाम खाता संख्या 101 में शुद्ध किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट लेने के बाद न्याय आपके द्वार में उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा द्वारा आदेश दिनांक 10.07.2015 पारित किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली तलब की गई। वक्त बहस रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.07.2015 जिसके द्वारा रैस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में अपीलान्ट की खातेदारी में स्थित भूमि को दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया है। वह आदेश विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत केवल लिपिकीय एवं तकनीकी त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

सकता है, लेकिन किसी भी पक्षकार के खातेदारी अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय उपरोक्त प्रावधानों के विपरित जाकर पारित किया है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 के खाता संख्या 105 में अंकित खसरा नंबर 43, 44, 63 व 338 कुल किता 4 रकबा 78 एयर वाकै ग्राम चोकडी अपीलान्ट की खातेदारी व कब्जेकाश्त की होना राजस्व रिकार्ड से भलीभांति स्पष्ट है। उक्त जमाबन्दी के कॉलम संख्या 11 में अंकित नामान्तकरण संख्या 124 दिनांक 07.09.2015 से यह स्पष्ट था कि अपीलान्ट जो हजारी का गोद पुत्र है, को हजारी की मृत्यु के बाद विरासत के आधार पर खातेदारी मिली है। उक्त भूमि के मूल खातेदार हजारी द्वारा अपीलान्ट को सामाजिक रीति रिवाज का निर्वहन करते हुए गोद लिया था, क्योंकि हजारी पुत्र अम्बालाल के कोई संतान लड़का या लड़की नहीं थे। इसलिए हजारीलाल द्वारा 71 वर्ष की उम्र में कानूनी प्रावधान अनुरूप दिनांक 09.06.99 को अपीलान्ट के हक में गोद पत्र भी उप पंजीयक चौथ का बरवाड़ा से पंजीबद्ध करवा दिया गया था। हजारी की मृत्यु होने पर अपीलान्ट द्वारा ही दत्तक पुत्र की हैसियत से सारे किया कर्म व संस्कार आदि किये गये थे। रजिस्टर्ड गोद पत्र के आधार पर अपीलान्ट के हक में विरासत का नामान्तकरण संख्या 124 दिनांक 07.09.2015 को जांच कर तस्दीक करवाया गया था, जिसका कि जमाबन्दी सम्वत 2072 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में भी अमलदरामद हो चुका है। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दिनांक 10.07.2015 को जो प्रार्थना पत्र अदालत मातहत में प्रस्तुत किया उसमें पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया था कि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है, परन्तु अदालत मातहत ने इन तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2015 को पारित किया। इस आदेश की आड़ में रैस्पोडेन्ट संख्या 1 ने पटवारी हल्का से अपने पक्ष में दिनांक 08.09.2015 को नामान्तकरण स्वीकृत करवाया गया। जबकि इससे पूर्व ही अपीलान्ट के हक में विवादित भूमि का नामान्तकरण तस्दीक हो चुका था। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि एक बार नामान्तकरण खुलने व राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद होने के बाद सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके ही उद्घोषणात्मक खातेदारी प्राप्त की जा सकती है, परन्तु रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में धारा 136 के प्रार्थना पत्र दिये गये आदेश के आधार पर खातेदारी दर्ज की गई है एवं अपीलान्ट की खातेदारी को निरस्त करने का आदेश दिया है, जो कि गलत है। विवादित भूमि पर कब्जाकाश्त अभी–भी अपीलान्ट का ही है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई नजीरों में अपना स्पष्ट मत पारित किया है कि एक बार खातेदारी मिलने के बाद सक्षम न्यायालय में वाद पत्र पेश कर साक्ष्य उपरान्त ही बेदखली की जा सकती है। यदि रैस्पोडेन्ट अपीलान्ट के पक्ष में हुए नामान्तकरण से व्यथित थे तो उन्हें सक्षम न्यायालय में अपील पेश करनी चाहिए थी। जिसकी कोई अपील रैस्पोडेन्ट की ओर से पेश नहीं की गई। वरन् झूठे शपथ पत्र के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 15.03.2016 को पटवारी हल्का के माध्यम से होने पर नकल हेतु आवेदन किया गया व नकल प्राप्त होते ही अन्दर मियाद अदालत हाजा में अपील

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

25.11.2016
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

पेश की गई है। अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी पेश किया गया है। जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब या काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार करते हुए स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.07.2015 को निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.07.2015 के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से दिनांक 22.03.2016 को मियाद बाहर अपील पेश किये जाने पर मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने बाबत अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया गया है, जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 15.03.2016 को होने व जानकारी होते ही नकल हेतु आवेदन करने व नकल प्राप्त होने के बाद जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश किये जाने का उल्लेख किया गया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया है और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 लिमिटेशन एक्ट व शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है, क्योंकि अदालत मातहत की ओर से अपीलान्ट को किसी तरह का कोई नोटिस आदि जारी नहीं किया गया और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया। अतः इस आधार पर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तो रैस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाडा के समक्ष भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के संबंध में पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसमें पटवारी हल्का ने उल्लेख किया कि ग्राम चोकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या 86 व 87 में आवेदक का नाम लड्डूलाल पुत्र अम्बालाल दर्ज है। जबकि खाता संख्या 101 में हजारी पुत्र अम्बालाल दर्ज है। पहचान पत्र, राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम लड्डूलाल अम्बालाल दर्ज है। खसरा नंबर 43, 44, 63 व 338 का मिलान क्षेत्रफल व नकल जमाबन्दी पुरानी अपेक्षित है। इस रिपोर्ट में पुरानी सही नकल की प्रमाणित प्रति के बाद ही शुद्धि अपेक्षित होने की रिपोर्ट की गई। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी पटवारी हल्का की रिपोर्ट को ही अग्रेषित किया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाडा द्वारा न्याय आपके द्वार अभियान में राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत ईशरदा में दिनांक 10.07.2015 को अपीलाधीन निर्णय पारित किया। जिसमें पटवारी हल्का, भू अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट व दस्तावेज के आधार पर ग्राम चोकडी के हाल जमाबन्दी सम्वत 2068–71 के नवीन खाता संख्या 101 में दर्ज हजारी पुत्र

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अम्बालाल मीना के स्थान पर लड्डूलाल पुत्र अम्बालाल दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली में केवल पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट भी संलग्न है। जिनके द्वारा भी रैसपोडेन्ट द्वारा चाही गई दुरूस्ती को किये जाने के संबंध में कोई स्पष्ट अभिशंपा या राय नहीं दी गई। वरन् पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में खसरा नंबर 43, 44, 63 व 338 के पुरानी सही नकल की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के बाद ही शुद्धि अपेक्षित होना बताया। उक्त पत्रावली में तहसीलदार की ओर से किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त होना नहीं पाया जाता है तथा खसरा नंबर 43, 44, 63 व 338 के साविक खसरा नम्बरान की जमाबन्दी भी प्राप्त किये जाने का अभाव पाया गया। दूसरी ओर अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में प्रस्तुत मीमो आफ अपील के साथ संलग्न दस्तावेज के अनुसार नामान्तकरण संख्या 124 अपीलान्ट के पक्ष में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 15.06.2015 को गोदनामे के आधार पर मृतक हजारी की खातेदारी में स्थित भूमि का विरासत के आधार पर खोला गया था। अर्थात् जिस समय अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। उस समय विवादित भूमि के संबंध में अपीलान्ट के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने का नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा खोला जा चुका था। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्ट जो कि नामान्तकरण संख्या 124 के अनुसार मृतक हजारी का गोद पुत्र था, को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिया जाना आवश्यक था, जो कि उपरोक्त प्रकरण में नहीं दिया गया। इस आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.07.2015 उचित नहीं कहा जा सकता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.07.2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का समुचित व पर्याप्त अवसर देने व तहसीलदार से स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.11.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
सभागीय आयुक्त
भरतपुर